

न्यू जर्सी इकोनॉमिक डेवलपमेंट अथॉरिटी अर्बन इनवेस्टमेंट फंड ग्रांट पायलट प्रोग्राम फंड की उपलब्धता के लिए नोटिस

न्यू जर्सी इकोनॉमिक डेवलपमेंट अथॉरिटी("NJEDA" या अथॉरिटी) 22 मई,2024 से अर्बन इनवेस्टमेंट फंड ग्रांट पायलट प्रोग्राम("प्रोग्राम") के लिए आवेदनों को सुबह 10 बजे EST से स्वीकार करना प्रारंभ कर देगी। आवेदन 23 सितंबर, 2024 तक शाम को 5 बजे तक जमा कर दिए जाने चाहिए। आवेदन को यहां पर एक्सेस किया जा सकता है: Urban Investment Fund Grant Program - NJEDA.

यह प्रोग्राम छह योग्य म्युनिसिपॉलिटी(कैमडेन, न्यू ब्रंसविक,नेवार्क,पासैक,पैटर्सन, और ट्रेंटन) के लिए \$38,198,148 उपलब्ध करवाएगा। जिसका उद्देश्य पहचाने गए क्षेत्रों में योग्य रियल एस्टेट संबंधी प्रोजेक्ट्स पर ध्यान देकर,सहयोग करके और दायित्व लेकर एक वाणिज्यिक क्षेत्र के भीतर आने वाले ग्राहकों की संख्या को और वाणिज्यिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए डिजाइन की गई एक रिवाइटलाइजेशन स्ट्रेटजी को लागू करना है। एक म्युनिसिपॉलिटी के भीतर फंड देने के लिए केवल एक आवेदन ही जमा किया किया जा सकता है। आवेदन के पूरी तरह से भरा होने और योग्यता की जांच रोलिंग आधार पर की जाएगी। इस प्रोग्राम के लिए कोई आवेदन शुक्क नहीं है।

उद्देश्य और अवलोकन

इस प्रोग्राम का उद्देश्य ऐसे प्रोजेक्ट्स में निवेश करके प्रमुख वाणिज्यिक कॉरिडोर क्षेत्रों में पुनरुद्धार को सहयोग देना और बढ़ाना है, जो वाणिज्यिक कॉरिडोर को 24-घंटे के वाणिज्यिक केन्द्र में बदल देते हैं और बाजार की बदलती परिस्थितियों के अनुकूल कार्य करते हैं, जैसे हाइब्रिड और रिमोट वर्क।जिसके लिए ऐसी गतिविधियों और विकास को वितीय सहायता दी जाएगी जो बदले में निवासियों, आगंतुकों, और/या ऑफिस कर्मचारियों की संख्या को बढ़ाएंगी और प्रमुख वाणिज्यिक कॉरिडोर में निवेश को सहयोग देंगी तथा मजबूत, लचीली, और उचित आर्थिक प्राप्तियों को बढ़ावा देंगी।उचित आर्थिक वृद्धि और शहरी समुदाय के विकास को बढ़ावा देने के लिए कम उपयोग में,खराब स्थिति में, या खाली इमारतों को प्रयोग में लाने पर कार्य करके यह प्रोग्राम समुदाय में निवेश को बढ़ाएगा।खराब स्थिति वाली म्युनिसिपॉलिटी में इन संसाधनों की पहचान करना सीमित हो सकता है, यह प्रोग्राम कोविड-19 के नकारात्मक आर्थिक प्रभावों से उबरने में सहायता देने के लिए अतिरिक्त सहायता प्रदान करता है तािक स्थानीय समुदायों के पास पुनरुद्धार प्रोजेक्ट्स की जिम्मेदारी लेने के लिए आवश्यक संसाधन हो सकें और दीर्घकालिक सफलता प्राप्त हो सके।

जैसा कि नीचे दिया गया है, इमारतों को म्युनिसिपॉलिटी/आवेदक, प्रमुख आर्थिक कॉरिडोर क्षेत्रों की पहचान करेंगे और पहचाने गए कॉरिडोर में ग्राहकों की संख्या और वाणिज्यिक गतिविधियां बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया एक रिवाइटलाइजेशन स्ट्रेटजीक दृष्टिकोण विकसित करेंगे। इसके बाद आवेदक उत्तरदायित्व लेने के लिए कम से कम 2 आपस में संबंधित प्रोजेक्ट की पहचान करेंगे, जो उनके विजन स्टेटमेंट के अनुसार और योग्य प्रोजेक्ट टाइप/उपयोग(नीचे देखें) के हैं।

इस प्रोग्राम की फंडिंग अमेरिकी रेस्क्यू प्लान("एआरपी'') करोनावायरस स्टेट और लोकल फिस्कल रिकवरी फंड्स("एसएलएफआरएफ") के एक आवंटन के जरिए गवर्नर मफीं के वित्तीय वर्ष 2024 के एप्रोप्रिएशन एक्ट ("एक्ट") द्वारा प्रदान की जाएगी। एक्ट ने प्रमुख उद्योगों को सहयोग देने, नवीनतम अर्थव्यवस्था को विकसित करने,बोलस्टर रिकवरी को जारी रखने, और तीव्र राज्यवार विकास के लिए विभिन्न स्ट्रेटजीक आर्थिक विकास निवेशों के लिए अथॉरिटी को महत्त्वपूर्ण राज्य फंडिंग का आवंटन किया है।

इन निवेशों में "अर्बन इनवेस्टमेंट फंड" के लिए निकाला गया \$50 मिलियन भी शामिल है, जिसमें से \$38,198,148 अर्बन इनवेस्टमेंट फंड ग्रांट प्रोग्राम का निर्माण करने के लिए है। राज्य की ओर से प्राप्त हो जाने के बाद, अथाँरिटी इस फंड को इकोनाँमिक रिकवरी फंड में जमा कर देगी।

प्रोग्राम का विवरण

वाणिज्यिक कॉरिडोर क्षेत्र की पहचान करना और रिवाइटलाइजेशन स्ट्रेटजी

योग्य म्युनिसिपॉलिटी पुनरुद्धार के लिए एक प्रमुख वाणिज्यिक कॉरिडोर क्षेत्र("कॉरिडोर") की पहचान करेंगी। इन कॉरिडोर क्षेत्रों को कोविड-19 महामारी ने नकारात्मक रूप से प्रभावित किया हो-जैसे कि ग्राहकों की आवक में कमी, वर्क-फ्रॉम होम के प्रचलन के कारण वाणिज्यिक गतिविधियों में कमी और ऑनलाइन रीटेल खर्च में वृद्धि।कम से कम, कॉरिडोर में सिक्रय वाणिज्यिक गतिविधियां होनी चाहिए और/या पहचाने गए कॉरिडोर की इमारत के भूतल पर पर कम से कम 50% के लिए इसी क्षण से वाणिज्यिक उपयोग अनुमित वाली जोनिंग होनी चाहिए।

कॉरिडोर की पहचान कर लिए जाने के बाद, योग्य म्युनिसिपॉलिटी कॉरिडोर में महामारी के कारण हुए नुकसान/हानियों को कम करने में मदद करने के लिए कॉरिडोर में निवेश करने के लिए अपनी रिवाइटलाइजेशन स्ट्रेटजी विकसित करेंगी और उस क्षेत्र("रिवाइटलाइजेशन स्ट्रेटजी") में लोगों की संख्या और स्थानीय खर्च बढ़ाने के लिए आर्थिक विकास प्रोजेक्ट को प्रोत्साहन देकर बहाली को बढ़ावा देंगी।

रिवाइटलाइजेशन स्ट्रेटजी में उस सार्वजिन तौर पर खुली प्रक्रिया का वर्णन किया जाएगा, जिसका प्रयोग म्युनिसिपॉलिटी ने योग्य प्रोजेक्ट प्रकारों(नीचे देखें) में से प्रोजेक्ट को पहचानने और निधारित करने के लिए की थी, जिसके लिए वे प्रोग्राम ग्रांट फंडिंग का अनुरोध करेंगी।रिवाइटलाइजेशन स्ट्रेटजी में अन्य प्रोजेक्ट के बारे में संकेत किया गया होना चाहिए, जिनका उत्तरदायित्व लिया जा सकता है, और/या पहचाने गए वाणिज्यिक कॉरिडोर क्षेत्र में समुदाय या व्यापारिक गतिविधियों में शामिल अतिरिक्त साझीदारों और हितधारकों के बारे में भी बताया गया होना चाहिए।

जैसा कि नीचे चर्चा की गई है, इसके बाद आवेदक कम से कम 2 आपस में संबंधित प्रोजेक्ट की पहचान करेगा, जिनका उत्तरदायित्व वह लेना चाहता है और जो उनके विजन स्टेटमेंट के अनुकूल हो और योग्य प्रोजेक्ट प्रकार/उपयोग(जैसा कि नीचे वर्णन किया गया है) के हैं।

योग्यता

योग्य आवेदकों को म्युनिसिपॉलिटी के तौर पर परिभाषित किया है जो निम्नलिखित दोनों कसौटियों को पूरा करता हो(ध्यान दें:अटलांटिक शहर को छोड़कर जिसे ARP SLFRF से अपना वितीय वर्ष 2024 स्टेट बजट एप्रोप्रिएशन प्राप्त होता है): कम्यूटर-समायोजित जनसंख्या (दिन के समय की जनसंख्या)(2018.2022 अमेरिका समुदाय सर्वेक्षण के 5-वर्षीय औसत के अनुसार) के आधार पर शीर्ष 5 % म्युनिसिपॉलिटी।

- "दिन के समय की जनसंख्या" इसकी गणना कुल निवासी जनसंख्या+क्षेत्र में काम कर रहे कुल कर्मचारी-क्षेत्र में रहने वाले कुल कर्मचारी।
- म्युनिसिपल रिवाइटलाइजेशन इंडेक्स(MRI) के अंदर 5% म्युनिसिपॉलिटी। MRI राज्य की आधिकारिक माप और म्युनिसिपॉलिटी संकट की रैंकिंग के तौर पर काम करती है। MRI आठ अलग संकेतकों के अनुसार न्यू जर्सी की म्युनिसिपॉलिटी को रैंक देती है, जो प्रत्येक इलाके के सामाजिक, आर्थिक, और राजस्व के विभिन्न पहलुओं की माप करती है। MRI का प्रयोग कुछ निश्चित "आवश्यकता आधारित" फंड्स का वितरण करने में एक कारक के तौर पर प्रयोग किया जाता है।

ऊपर दिए गए मापदंडों के आधार पर, निम्नलिखित 6 म्युनिसिपॉलिटी फंडिंग के लिए आवेदन करने के योग्य होंगीः कैमडेन,न्यू ब्रंसविक,न्यूवार्क,पैसेक,पैटरसन, और ट्रेंटन।

प्रति योग्य म्युनिसिपिलटी केवल एक(1) आवेदन ही जमा किया जा सकता है, जैसा कि योग्य म्युनिसिपॉलिटी से प्राप्त पत्र से देखा जा सकता है, जैसा कि नीचे वर्णन किया गया है। योग्य म्युनिसिपॉलिटी म्युनिसिपॉलिटी की ओर से एक म्युनिसिपॉलिटी इकाई, काउंटी इकाई, या एक गैर-लाभ स्थानीय आर्थिक और वाणिज्यिक विकास इकाई को आवेदक के तौर पर निर्धारित कर सकती हैं।इसके लिए आवेदन(अधिक विशिष्ट जानकारी के लिए नीचे देखें) के भाग के तौर पर म्युनिसिपॉलिटी द्वारा ऐसी इकाई को निर्धारित करने वाले एक पत्र की आवश्यकता होती है।

अतिरिक्त आवेदक आवश्यकताएं:

आवेदन के योग्य होने के लिए आवेदन के समय न्यू जर्सी डिपार्टमेंट ऑफ लेबर एंड वर्कफोर्स डेवलपमेंट और न्यू जर्सी डिपार्टमेंट ऑफ इनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के साथ अच्छी स्थिति में होना चाहिए। मंजूरी मिलने से पहले यह दिखाने के लिए वर्तमान टैक्स क्लीयरेंस सर्टिफिकेट दिया जाना चाहिए कि आवेदक न्यू जर्सी डिवीजन ऑफ टैक्सेसन के साथ संतोषजनक अच्छी स्थिति में है,जब तक कि आवेदक को टैक्सेसन विभाग के साथ पंजीकृत करने की आवश्यकता न हो।

योग्य उपयोग

प्रोग्राम में कॉरिडोर के भीतर कई प्रकार के प्रोजेक्ट्स और उपयोगों के लिए,(एक साथ इसे "प्रोजेक्ट्स" के तौर पर उल्लेखित किया जाएगा) म्युनिसिपल रिवाइटलाइजेशन स्ट्रेटजी के भाग के तौर पर फंडिंग की अनुमति दी जाएगी, जैसा कि नीचे दिया गया है।आवेदकों को अपने आवेदन में निम्नलिखित में कम से कम दो प्रोजेक्ट्स को शामिल करना चाहिए:

• बिल्डिंग पुनर्वास प्रोजेक्ट्स-एक बर्बाद, कम उपयोग वाली, अंशतः खाली, या खाली इमारत का नवीनीकरण/पुनर्वास(इसमें पर्याप्त रूप से मामूली पुनर्वास, खाली जगह को फिर से सक्रिय करना, नियमों के उल्लंघन से निबटना, आंतरिक भवन का पुननिर्माण/फिट आउट करना शामिल हो सकता है)- प्रस्तावित प्रोजेक्ट के उपयोग में पांच(5) वर्ष के लिए कोई बदलाव नहीं किया जाएगा,इसे सुनिश्चित करने वाली डीड(विलेख) के साथ इमारत के वाणिज्यिक या मिश्रित तौर पर उपयोग के लिए; प्रति इमारत \$3.5 मिलियन की अधिकतम फंडिंग; नए निर्माण के लिए नहीं है।

- इमारत के पुनः उपयोग का अध्ययन-जैसे ऑफिस से वाणिज्यिक या मिश्रित उपयोग के लिए इमारत बदलाव विश्लेषण; या अनुकूलित करने वाला पुनः उपयोग अध्ययन; या अन्य इमारत विश्लेषण; फंडिंग का प्रयोग भौतिक सुधारों/निर्माण कार्यों के लिए नहीं किया जा सकता है। अधिकतम \$200,000 प्रति अध्ययन और प्रति आवेदक अधिकतम तीन(3) अध्ययन।
- सार्वजिनक स्थान का उपयोग निवेश-पार्कलेट(छोटा सिटिंग स्पेस),बैरियर स्ट्रक्चरर्स, स्टेज, सिक्रय उपयोग वाले उपकरण, पैदल यात्री प्लाजा, पॉकेट पार्क जैसे प्रोजेक्ट्स के स्थाई और अर्द्ध स्थाई सुधारों के लिए फंडिंग दी जा सकती है; फंडिंग का प्रयोग स्पेस की प्रोग्रामिंग/संचालन लागत के लिए नहीं किया जा सकता है; स्पेस/प्रॉपर्टी या तो बाहरी स्वामित्व वाला स्पेस होना चाहिए या फिर सार्वजिनक इकाई के साथ अनुबंध के तहत बाहरी स्पेस जिसे ऊपर सूचीबद्ध में से एक के तौर पर कार्य करना चाहिए; स्पेस/प्रॉपर्टी को कम से कम पांच (5) वर्षों के लिए अधिकांश समय सार्वजिनक उपयोग के लिए जनता के लिए उपलब्ध/खुला होनी चाहिए; प्रति प्रोजेक्ट अधिकतम \$1.5 मिलियन की फंडिंग।

अमेरिकी ट्रीजरी समयसीमा और संघीय एसएलएफआरएफ आवश्यकताओं के अनुसार, प्रोग्राम के पूरे फंड को 31 दिसंबर, 2026 तक खर्च किया जाना चाहिए। इन समयसीमाओं को पूरा करने के लिए, अपेक्षित है कि प्रोग्राम फंडिंग के लिए शामिल किसी भी आवेदन में शामिल कोई भी प्रोजेक्ट 30 सितंबर, 2026 तक पूरा हो जाएगा।आवेदकों को अपने आवेदन में पुष्टि करनी होगी कि उन्होंने अपने आवेदनों में जिन रियल एस्टेट प्रोजेक्ट को प्रस्तावित किया है, वे 31 दिसंबर,2026 तक पूरे किए जा सकते हैं।

जिन प्रोजेक्ट में निर्माण कार्य शुरू हो चुका है वे योग्य नहीं हैं।विध्वंस, और सुधार सिहत निर्माण की अनुमित मंजूरी मिलने तक नहीं है। सभी प्रोजेक्ट न्यू जर्सी के वेतन कानूनों और पब्लिक वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर रजिस्ट्रेशन एक्ट(N.J.S.A. 34:11-56.48 et seq.) के अनुपालन में होंगे, जिसके लिए सभी बिड करने वाले और न्यूजर्सी में किसी भी सार्वजनिक कार्यों को करने में शामिल किसी कॉन्ट्रैक्टर, सबकॉन्ट्रैक्टर, या निम्न श्रेणी के कॉन्ट्रैक्टर को न्यू जर्सी डिपार्टमेंट ऑफ लेबर एंड वर्कफोर्स डिपार्टमेंट में पंजीकरण करवाना चाहिए। 100% आवासीय भवन पुनर्वास प्रोजेक्ट इसके लिए योग्य नहीं हैं, लेकिन मिश्रित उपयोग वाले डेवलपमेंट प्रोजेक्ट

इसके लिए योग्य हैं और (1) N.J.S.A. 52:27D-329(b) की आवश्यकतानुसार किसी भी आवासीय हिस्से को निम्न और मध्यम आय वाले परिवारों के लिए 20% आरक्षण का पालन करना होगा; और (2) कुल वर्ग फुट या इमारत के संपूर्ण भूतल का कम से कम 20% या इमारत की पूरी मंजिल को व्यावसायिक/गैर-आवासीय उपयोग के लिए समर्पित होना चाहिए। इमारती पुनर्वास प्रोजेक्ट्स, जो सरकारी या शैक्षणिक उपयोग के लिए हैं, वे इसके लिए योग्य नहीं हैं।

प्रोग्राम ग्रांट फंडिंग का उपयोग केवल ऐसे रियल एस्टेट प्रोजेक्ट की लागत के लिए किया जा सकता है जिन्हें मंजूरी खास तौर पर से आवेदन, अथॉरिटी समीक्षा और फंडिंग ग्रांट एग्रीमेंट के आधार पर दी जाती है। प्रोजेक्ट लागत में अधिकतम 10% आकस्मिकता के साथ किठन निर्माण लागत शामिल हो सकती है; सॉफ्ट लागत को कुल प्रोजेक्ट लागत के 20% से अधिक नहीं होनी चाहिए; और डेवलपर शुल्क को कुल प्रोजेक्ट लागत के 10% से अधिक नहीं होना चाहिए या अन्यथा किसी प्रोजेक्ट को फंडिंग देने वाली किसी अन्य स्टेट एजेंसी द्वारा मंजूरी दी जानी चाहिए। एक्वीजीशन फंडिंग इसके लिए योग्य है और न ही संचालन लागत ही योग्य है। सभी प्रोजेक्ट लागत और ग्रांड फंडिंग संघीय लाभ आवश्यकताओं के दोहराव के अधीन हैं और प्रोजेक्ट को मंजूरी देने से पहले अथॉरिटी द्वारा लागत का उपयुक्त ढंग से विश्लेषण किया जाएगा।

ग्रांट राशि

प्रत्येक योग्य म्युनिसिपॉलिटी के लिए **न्यूनतम** ग्राड फंडिंग \$1,000,000 है। योग्य म्युनिसिपॉलिटी के लिए अधिकतम अन्दान राशि लागू कम्यूटर-समायोजित जनसंख्या(दिन के समय की जनसंख्या) पर आधारित हैः

- 100,000 से अधिक कम्यूटर-समायोजित जनसंख्या वाली म्युनिसिपॉलिटी के लिए \$7 मिलियन का अधिकतम ग्रांट उपलब्ध है।
- 100,000 से कम कम्यूटर-समायोजित जनसंख्या वाली म्युनिसिपॉलिटी के लिए \$5,732,716 का अधिकतम ग्रांट।

प्रोग्राम ग्रांट फंडिंग अनुमोदित आवेदन के भीतर सभी प्रोजेक्ट लागतों की कुल राशि के 80% से अधिक नहीं हो सकती है।

ध्यान दें: कृपया ग्रांट एग्रीमेंट सेक्शन देखें जिसमें संभावित कार्रवाइयों की रूपरेखा दी गई है, जिसमें ग्रांट फंड को पुनः प्राप्त करना या पुनर्भुगतान भी शामिल है, जिसे अथाँरिटी प्रोजेक्ट के लक्ष्यों को पूरा करने की समयसीमा पूरी नहीं होने पर आगे बढ़ा सकती है।

प्रति योग्य म्य्निसिपॉलिटी केवल एक (1) आवेदन प्रस्ताव प्रस्त्त किया जा सकता है।

संभावित अवॉर्ड राशि फंडिंग की उपलब्धता के विषय में वर्तमान जानकारी पर आधारित है। अतिरिक्त फंडिंग उपलब्ध होने पर NJEDA उस राशि और अवॉर्ड की संख्या बढ़ाने का अधिकार स्रक्षित रखता है।

आवेदन प्रस्तुत करने और समीक्षा की प्रक्रिया

ऊपर पहचानी गई योग्य म्युनिसिपॉलिटी कम्यूटर-समायोजित जनसंख्या आकार श्रेणी के आधार पर अधिकतम राशि तक प्रोग्राम ग्रांट फंडिंग की मांग के लिए एक ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगी। यह रोलिंग आधार पर ग्रांट आवेदन प्रक्रिया होगी, इसे प्रतिस्पर्धात्मक रूप से स्कोर नहीं किया जाएगा। संघीय फंडिंग खर्च समय सीमाओं को पूरा करने के लिए, योग्य आवेदकों के पास आवेदन प्रस्तुत करने के लिए चार महीने तक का समय होगा। अथॉरिटी, स्विववेक के आधार पर, आवेदन जमा करने की समय सीमा को 2 महीने तक बढ़ा सकती है।

प्रोग्राम के लिए आवेदन भाग के रूप में, प्रोग्राम ग्रांट फंडिंग के लिए आवेदनों को कॉरिडोर की पहचान और वर्णन करना होगा तथा यह प्रदर्शित करना होगा कि प्रोग्राम मानदंडों के अनुरूप कॉरिडोर के लिए एक समग्र रिवाइटलाइजेशन स्ट्रेटजी है। आवेदन विशिष्ट योग्य प्रोजेक्ट्स के लिए ग्रांट फंडिंग का भी अनुरोध करेंगे। ऑनलाइन आवेदन में निम्नलिखित जानकारी शामिल होनी चाहिए, लेकिन यह केवल इन्हीं तक सीमित नहीं है:

• प्रमुख वाणिज्यिक कॉरिडोर क्षेत्र का वर्णन- क्षेत्र की सड़कों/सीमाओं के बारे में वर्णन करें, यह मुख्य रूप से वाणिज्यिक क्षेत्र होना चाहिए; पड़ोस और आसपास के क्षेत्र का वर्णन करें; बताएं कि इस वाणिज्यिक कॉरिडोर क्षेत्र का चयन क्यों और कैसे किया गया (प्रक्रिया और/या तर्क); वर्तमान में कोविड-19 से संबंधित नकारात्मक आर्थिक प्रभाव क्या हैं (रिक्तियों की मौजूदा स्थितियाँ, यातायात में कमी, आदि); नकारात्मक प्रभावों को कैसे संभाला/सुधार किया जा सकता है; क्षेत्र और समुदाय के लिए लाभ और दीर्घकालिक प्रभाव क्या हैं।

- समग्र वाणिज्यिक कॉरिडोर के पुनरुद्धार के लिए प्रस्तावित स्ट्रेटजी का विवरण और वर्णन जिसमें इनका विवरण शामिल करें-किस प्रकार के प्रोजेक्ट्स की आवश्यकता है; कौन से हितधारक/साझेदार शामिल हैं जो कम ग्राहक आवक और आर्थिक गतिविधि को संभालने के लिए प्रोजेक्ट्स शुरू करेंगे या समग्र दृष्टिकोण का हिस्सा बनेंगे; इस स्ट्रेटजी को लागू करने से क्षेत्र और समुदाय को होने वाले लाभों का वर्णन कर संकेंगे; ग्रांट फंडिंग के लिए आवेदन में कौन से प्रोजेक्ट को शामिल किया जाएगा, इसकी पहचान करने और निर्धारित करने के लिए शुरू की गई प्रक्रिया; प्रस्तावित रिवाइटलाइजेशन स्ट्रेटजी और प्रोजेक्ट किस प्रकार से कोविड-19 के प्रभावों का सुधार करेंगे; और यह पूंजीगत व्यय कोविड-19 के कारण होने वाले आर्थिक नुकसान को संभालने के लिए सबसे उपयुक्त क्यों है।
- समग्र आवेदन बजट स्रोत और योग्य उपयोग इसमें आवेदन के सभी प्रोजेक्ट्स शामिल होंगे, प्रति प्रोजेक्ट अनुरोधित ग्रांट राशि का भी संकेत दिया जाएगा, और आवेदन के भीतर सभी प्रोजेक्ट्स की कुल लागत का न्यूनतम 20% प्रदान करने के लिए अन्य फंडिंग स्रोतों की पहचान की जाएगी।
 - स्ट्रेटजी कार्यान्वयन समयसीमा-विकासात्मक माइलस्टोन इनके लिए उपयुक्त हैं (1) जिन प्रोजेक्ट का उत्तरदायित्व लिया जाना है उनकी शुरुआत, (2) आवश्यक अतिरिक्त फंड प्राप्त करना, (3) निर्माण में प्रगति, और (4) 30 सितंबर, 2026 से पहले प्रत्येक प्रोजेक्ट के पूरा होने के साक्ष्य। (ध्यान दें कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि संघीय खर्च की समय सीमा पूरी हो, यह अनुमानित है कि ग्रांट फंडिंग के साथ शुरू किए जाने वाली सभी प्रोजेक्ट 30 सितंबर, 2026 तक संपूर्ण रूप से पूरे कर दिए जाएंगे।)
- संपूर्ण रिवाइटलाइजेशन स्ट्रेटजी को अपनाने और उसकी देखरेख करने और प्रस्तावित प्रोजेक्ट की निगरानी और इसकी संपूर्णता स्निश्चित करने के लिए आवेदक का अन्भव और क्षमता।
- प्रत्येक प्रोजेक्ट जिसकी फंडिंग ग्रांट फंड से की जानी है, उसके लिए ये विवरण दें- किए जाने वाले कार्य की सीमाएं/यदि लागू हो तो पुनर्वास की योजना सिहत प्रोजेक्ट का विवरण दें; आवश्यक प्रकटीकरण और प्रमाणपत्र सिहत मालिक और डेवलपर की जानकारी और अनुभव; साइट नियंत्रण का साक्ष्य या तरीका; वितीय व्यवहार्यता से संबंधित जानकारी जैसे स्रोत और बजट का उपयोग, अन्य फंडिंग को सुरक्षित करने की क्षमता या साक्ष्य, यदि प्रासंगिक हो तो प्रोफार्मा; इन ग्रांट फंडिंग की आवश्यकता क्यों है इसका स्पष्टीकरण; प्रोजेक्ट विकास की समयसीमा।
- यदि कोई म्युनिसिपॉलिटी अपनी ओर से आवेदन करने के लिए किसी म्युनिसिपॉलिटी इकाई, काउंटी इकाई, या गैर-लाभकारी स्थानीय आर्थिक और सामुदायिक विकास इकाई को नामित कर रही है, तो ऐसी इकाई को नामित करने के लिए म्युनिसिपॉलिटी (मेयर या उनके द्वारा नामित म्युनिसिपॉलिटी कर्मचारी) से एक पत्र आवश्यक है। पत्र में आवेदन के अनुमोदन और आवेदन के भीतर प्रोजेक्ट्स के बारे में भी बताया जाना चाहिए।

आवेदन की पूर्णता के लिए सबसे पहले आवेदनों की समीक्षा की जाएगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी आवश्यक आवेदन जानकारी और दस्तावेज़ जमा और पूरे हो गए हैं। अथाँरिटी के स्वविवेक पर, कर्मचारी आवेदन में शामिल जानकारी का स्पष्टीकरण मांग सकते हैं, जिसमें वर्णनात्मक प्रतिक्रियाएं, सहायक दस्तावेज और

संलग्नक शामिल हैं, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं हैं। इसके अतिरिक्त, किसी भी कमी को सही करने के लिए आवेदकों को दस (10) कार्यदिवस दिए जाएंगे।

सभी आवेदनों की समीक्षा अथॉरिटी के कर्मचारियों द्वारा की जाएगी ताकि यह पुष्टि की जा सके कि उपरोक्त आवश्यक वस्तुओं के संबंध में पर्याप्त जानकारी और विवरण संतोषजनक ढंग से शामिल किए गए हैं और ये प्रोग्राम के बोर्ड मेमो के अनुरूप हैं, जो निम्न प्रकार हैं:

- प्रमुख वाणिज्यिक कॉरिडोर क्षेत्र निर्दिष्ट कर दिया गया है और कोविड-19 से संबंधित नकारात्मक आर्थिक असर का विवरण प्रदान किया गया है;
- संपूर्ण रिवाइटलाइजेशन स्ट्रेटजी नकारात्मक प्रभावों को सुधारने और कॉरिडोर के भीतर ग्राहकों की आवक तथा आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने की योजना की रूपरेखा तैयार करती है;
- ग्रांट फंड से शुरू किए जाने वाले प्रस्तावित प्रोजक्ट्स यहां वर्णन के अनुसार योग्य हैं;
- आवेदक और/या परियोजना डेवलपर्स ने रिवाइटलाइजेशन स्ट्रेटजी और प्रोजेक्ट्स को शुरू करने के लिए पर्याप्त क्षमता और अन्भव का प्रमाण दिया है;
- जो वित्तीय जानकारी प्रदान की गई है, वह प्रस्तावित लागतों की तर्कसंगतता और आवेदन के भीतर सभी प्रोजेक्ट्स की कुल लागत का न्यूनतम मैचिंग 20% प्रदान करने या प्राप्त करने की क्षमता का प्रमाण देती है;
- स्ट्रेटजी को शुरू करने और प्रस्तावित प्रोजेक्ट्स को पूरा करने की समयसीमा उचित है और 30 सितंबर,
 2026 से पहले पूरा होने का प्रमाण दिया गया है।

किसी भी प्रोजेक्ट को मंजूरी दिए जाने से पहले लागत तर्कसंगतता विश्लेषण पूरा किया जाएगा। इसके अलावा, उचित लाभ/रिटर्न स्निश्चित करने के लिए अथॉरिटी प्रोजेक्ट के वितीय अंतर का विश्लेषण करेगी।

आवेदन प्रस्तुत करने और फंडिंग संबंधी विचारों के लिए उपरोक्त समीक्षा कारकों के अनुसार प्रोग्राम की आवश्यकताओं के साथ पूर्णता, योग्यता और अनुरूपता से संबंधित कर्मचारियों द्वारा निर्धारण किए जाने के बाद, सभी आवेदन फंडिंग विचार के लिए बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे। संघीय व्यय की समय सीमा पूरी हो, यह सुनिश्चित करने के लिए आवेदनों की मंजूरी के लिए बोर्ड को कर्मचारियों की सिफारिशों में समयसीमा और अपेक्षित परियोजना विकासात्मक माइलस्टोन शामिल होंगे। इसके अलावा, अथॉरिटी यह बताएगा कि यदि प्रोजेक्ट के लिए इन माइलस्टोन की समय-सीमा पूरी नहीं होती है, तो अथॉरिटी यह कर सकती है:

- किसी दूसरे प्रोजेक्ट के लिए ग्रांट फंड के पुनः आवंटन की अनुमित देना; और/या
- ग्रांट फंड को वापस ले लेने या पुनर्भुगतान की आवश्यकता; और/या
- सलाह दे सकती है कि आवेदक अब किसी भी शेष अप्रयुक्त ग्रांट फंड के लिए योग्य नहीं हो सकता है।

बोर्ड की मंजूरी के बाद, ग्रांट एग्रीमेंट पर आगे बढ़ने के लिए आवश्यक दस्तावेजों और सूचनाओं को जमा करने के लिए आवश्यकताओं और समयसीमा को सूचीबद्ध करते हुए अथॉरिटी द्वारा एक मंजूरी पत्र जारी किया जाएगा। ऐसे आवश्यक दस्तावेज़ में निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं, लेकिन इनकी सीमा यहीं तक नहीं है: प्रत्येक प्रोजेक्ट के लिए साइट नियंत्रण और साइट स्वामित्व का साक्ष्य; प्रोजेक्ट डेवलपर के ऑर्गनाइजेशनल दस्तावेज़ और प्रमाणपत्र; प्रोजेक्ट का बजट; अन्य फंडिंग के साक्ष्य; प्रोजेक्ट के विकासात्मक माइलस्टोन और समयसीमाएं; सामान्य कॉन्टैक्टर जानकारी; और आवश्यक बीमा का साक्ष्य।

आवेदकों को आवश्यक दस्तावेज जमा करने के लिए साठ (60) कैलेंडर दिवस दिए जाएंगे, जिसे स्वविवेक के आधार पर अथॉरिटी द्वारा अतिरिक्त साठ (60) कैलेंडर दिनों तक बढ़ाया जा सकता है। यदि कोई अनुमोदित आवेदक दी गई समयसीमा के भीतर मांगी गई जानकारी जमा नहीं करता है, तो अथॉरिटी की मंजूरी वापस ले ली जाएगी, और प्रोजेक्ट आगे नहीं बढेंगे।

ग्रांट एग्रीमेंट

बोर्ड की मंजूरी के पश्चात और अनुमोदन पत्र दस्तावेजों और शर्तों को समय पर संतोषजनक ढंग से प्रस्तुत करने पर, अथाँरिटी आवेदक म्युनिसिपाँलिटी के साथ एक ग्रांट एग्रीमेंट ("ग्रांट एग्रीमेंट") में प्रवेश करेगी। म्युनिसिपाँलिटी आवेदन के सभी नियमों और शर्तों, ग्रांट एग्रीमेंट और कार्यक्रम की फंडिंग आवश्यकताओं के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगी। ग्रांट एग्रीमेंट के निष्पादन से पहले किसी भी प्रोजेक्ट पर कोई निर्माण शुरू नहीं किया जा सकता है।

ग्रांट एग्रीमेंट में कॉरिडोर और रिवाइटलाइजेशन स्ट्रेटजी का विवरण, ग्रांट फंड से वित्त पोषित की जाने वाला प्रत्येक अलग प्रोजेक्ट, योग्य प्रोजेक्ट की लागत, ग्रांट फंड की राशि और लागू होने वाली अन्य फंडिंग सहित प्रोग्राम से संबंधित सभी आवश्यकताएं शामिल होंगी।

ग्रांट एग्रीमेंट में राज्य और संघीय आवश्यकताओं का विवरण होगा। अर्बन इनवेस्टमेंट फंड ग्रांट प्रोग्राम की फंडिंग के साथ विकसित/पुनर्विकसित किए जाने वाले सभी प्रोजेक्ट न्यू जर्सी के प्रचलित वेतन कानून और अन्य श्रम मानकों की आवश्यकताओं के साथ-साथ राज्य की अन्य आवश्यकताओं के अनुपालन के अधीन होंगे, जो प्रोजेक्ट के विवरण और पर्यावरण आकलन के संबंध में 1989 के न्यू जर्सी एक्जीक्यूटिव आर्डर 215 सहित फंडिंग राशि के आधार पर लागू हो सकते हैं।

इमारत पुनर्वास प्रोजेक्ट्स के लिए, अथॉरिटी के लिए यह देखना आवश्यक होगा कि आवेदक अथॉरिटी की आवश्यक प्रतिबंध भाषा का उपयोग करते हुए संपत्ति पर 5 साल का डीड रेस्ट्रिक्शन दाखिल करे। डीड रेस्ट्रिक्शन अंतिम प्रोजेक्ट समाप्ति के पांच (5) वर्षों के बाद जारी किया जाएगा।

ग्रांट एग्रीमेंट समग्र अनुदान निधि के हिस्से के रूप में प्रत्येक प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए समयसीमा और विकासात्मक माइलस्टोन का विवरण देगा। अथॉरिटी के स्वविवेक पर, अथॉरिटी समयसीमा या माइलस्टोन में विस्तार दे सकती है। ग्रांट एग्रीमेंट यह संकेत देगा कि संधीय फंडिग आवश्यकताओं का अनुपालन करने के लिए, सभी प्रोजेक्ट को 31 दिसंबर, 2026 तक पूरी तरह से पूरा किया जाना चाहिए, और सारी धनराशि पूरी तरह से खर्च की जानी चाहिए।

यदि कोई प्रोजेक्ट माइलस्टोन की प्रमुख तिथियों को पूरा करने में सक्षम नहीं है, तो म्युनिसिपॉलिटी प्रोजेक्ट की सीमा में संशोधन का अनुरोध कर सकती है या वैकल्पिक प्रोजेक्ट की मंजूरी का भी अनुरोध कर सकती है। अथॉरिटी, स्विववेक के आधार पर, ऐसे अनुरोध पर विचार करेगी और प्रत्यायोजित प्राधिकार के तहत प्रोजेक्ट में संशोधन को मंजूरी दे सकती है।

ग्रांट एग्रीमेंट में इस बात के लिए भी इंगित किया जाएगा कि यदि प्रोजेक्ट के लक्ष्यों को पूरा करने की समय-सीमा पूरी नहीं हो पाती है, तो अथाँरिटी ग्रांट फंड को वसूल सकती है या इसका पुनर्भुगतान करना पड़ सकता है और/या आवेदक अब किसी भी शेष अप्रयुक्त ग्रांट फंड के लिए पात्र नहीं हो सकता है।

ग्रांट एग्रीमेंट में धन संवितरण प्रक्रिया का विवरण दिया गया होगा।

ग्रांट फंडिंग का संवितरण

ग्रांट एग्रीमेंट के निष्पादन के बाद, ग्रांट फंड का संवितरण या तो वृद्धिशील रूप से किया जाएगा क्योंकि योग्य प्रोजेक्ट व्यय किए गए हैं और या फिर इसे अन्य फंडिंग म्रोतों के साथ आनुपातिक किया जा सकता है, यदि लागू हो तो, प्रोजेक्ट के पूरे हो जाने तक अथॉरिटी के मानक निर्माण प्रतिधारण को रोक दिया जाएगा या ग्रांट फंड का संवितरण अन्य फंड देने वालों की संवितरण प्रक्रिया के साथ सहयोग में किया जा सकता है। फंडिंग संवितरण अनुरोधों को दस्तावेज द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए कि खर्च किए गए थे, कार्य प्रचलित वेतन और श्रम मानकों की अनुपालन आवश्यकताओं के अनुसार किया गया है, और कार्य ग्रांट की मंजूरी और कार्यक्रम फंडिंग के उचित उपयोगों के अनुरूप किया गया था।

यह सुनिश्चित करना आवेदक की जिम्मेदारी और आवश्यकता होगी कि अथॉरिटी और आवेदक के बीच ग्रांट एग्रीमेंट की सभी आवश्यकताएं बाद में प्रोजेक्ट डेवलपर्स पर आवेदक और प्रोजेक्ट डेवलपर्स के बीच अलग-अलग फंडिंग एग्रीमेंट(एग्रीमेंट्स) के माध्यम से लागू की जाएं।

शुल्क

EDA के संशोधित शुल्क नियमों के अनुसार, कोई भी आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा।

अतिरिक्त आवश्यकताएं और जानकारी अर्बन इनवेस्टमेंट फंड ग्रांट प्रोग्राम के बारे में विस्तृत जानकारी यहां उपलब्ध है <u>Urban Investment Fund Grant</u> <u>Program - NJEDA</u>

इस प्रोग्राम की फंडिंग उपलब्धता की सूचना से संबंधित प्रश्नों को यहां दिया जाना चाहिए realestateinfo@njeda.gov.

NJEDA राज्य और संघीय कानूनों के अधीन है, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं, लेकिन इनकी सीमा इन्हीं तक नहीं हैं, जिसका प्रभाव सहयोगियों पर पड़ सकता है: N.J.S.A. 52:32-60.1, et seq., आदि, जो न्यू जर्सी सरकार की इकाइयों को बेलारूस या रूस में निषिद्ध गतिविधियों में लगे व्यवसायों के साथ कुछ डीलिंग करने से रोकता है; ऑफिस ऑफ फॉरेन असेस्ट कंट्रोल(OFAC) द्वारा प्रख्यापित "विशेष रूप से नामित नागरिकों और अवरुद्ध व्यक्तियों" की सूची का अन्पालन, https://sanctionssearch.ofac.treas.gov; N.J.S.A. 24:6I-49 जो प्रदान करता है कि निम्नलिखित अधिकांश राज्य या स्थानीय आर्थिक प्रोत्साहनों के लिए योग्य नहीं हैं (a) एक व्यक्ति या निकाय, जिन्हें कैनबिस(भांग) की खेती करने, निर्माण, थोक व्यापारी, वितरक, खुदरा विक्रेता या वितरण सेवा के रूप में काम करने के लिए लाइसेंस जारी किया है, या जो किसी कैनबिस एस्टेब्लिशमेंट, वितरक, या डिलीवरी सेवा के लिए या अपनी ओर से काम करने के लिए एक प्रमाणित व्यक्तिगत उपयोग वाले कैनबिस हैंडलर को नियुक्त करता है; और (b) ऐसे संपत्ति के मालिक, डेवलपर, या किसी प्रोजेक्ट के ऑपरेटर, जिनका उपयोग, पूर्ण या आंशिक रूप से, कैनबिस की खेती करने वाले, निर्मता, थोक व्यापारी, वितरक, खुदरा विक्रेता, या वितरण सेवा को लाभ पहुंचाने के लिए किया जाता है, या जो किसी प्रमाणित कैनबिस एस्टेब्लिशमेंट में, वितरक, या वितरण सेवा के लिए उसकी ओर से काम करने के लिए व्यक्तिगत हैंडलर निय्क्त करते हैं; और N.J.S.A. 52:13D-12, et seq, जो विधानमंडल के किसी सदस्य या किसी राज्य अधिकारी या कर्मचारी या उनके साझेदारों अथवा किसी ऐसे कॉरपोरेशन को, जिसमें वे 1% से अधिक स्टॉक के मालिक हैं या इसे नियंत्रित करते हैं, किसी \$25.00 या अधिक की बिक्री, या खरीद के किसी कॉट्रैक्ट,एग्रीमेंट में प्रवेश करते हैं या इसे निष्पादित करते हैं, या राज्य एजेंसी द्वारा इन्हें प्रदान किया जाता है या दिया जाता है, क्छ सीमित अपवादों के साथ।